N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0155 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/06/2025 17:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 16/04/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:45 बजे **Time To (समय तक):** 16:27 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/06/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/06/2025 17:03:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 310 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** KARYALYA MUKHYA CHIKITSA AVAM SWASTHYA ADHIKARI, JILA CHITTORGARH

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NIKHIL YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LET.YUDDHAVEER SINGH YADAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2006 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MAHARAJAVAS, BAHROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MAHARAJAVAS, BAHROR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANGILAL KHATIK		पिता:SURAJMAL KHATIK	1. MUKAM POST BHEEMGARH,RASHAMI,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA
2	NAIM BAIG		पिता:RAHIM BAIG	1. BISMILLAH AASHIYANA,PANCHYAT BHAWAN KE PICHHE,SAVA,CHITTORGARH,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 80,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2025 को समय करीब 10.45 ए.एम. पर श्रीमान् राजीव जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री निखिल यादव पुत्र स्व. श्री युद्धवीर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी महाराजावास, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड ने कार्यालय हाजा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधारकार्ड की छायाप्रति के इस आशय की प्रस्तुत की कि "मैं निखिल यादव पुत्र स्व. श्री युद्धवीर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी महाराजावास, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ओफिसर के पद पर कार्यालय CMHO चित्तौडगढ पर पदस्थापित थे, राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 01.03.2022 को एक सडक दुर्घटना में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उस समय मैं नाबालिग था और मेरी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास नहीं थी। बालिग होने और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मेरे द्वारा नियमानुसार मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद अनुकम्पा नियुक्ति के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ को दिनांक 02.09.2024 को सभी दस्तावेज संलग्न कर आवेदन किया था। मेरे आवेदन को उनके कार्यालय से दिनांक 02.12.2024 को निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर को भेजा था, मेरा आवेदन भेजने के कुछ दिन बाद कार्यालय CMHO चित्तौडगढ से श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर पर व्हॉटअप कॉल आया और उनके द्वारा मुझे बताया कि "तुम्हारा अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन निदेशालय जयपुर को भेज दिया है वहां से अप्रूवल करवाने के बदले में 40,000/- रूपये फीस लगेगी, उसमें से 25,000/- रूपये तुम एडवान्स में जमा करवा दो। फिर उनके द्वारा मुझे व्हॉटसअप पर एक मोबाईल नम्बर पर 25,000/- रूपये ऑनलाईन एडवान्स भेजने और बाकी के काम के काम होने के बाद देने के लिये बोला। जिस पर मैने दिनांक 21.12.2024 को मेरे फोन-पे नम्बर 7850051602 से श्री मांगीलाल खटीक के कहे अनुसार 25,000/- रूपये ऑनलाईन सोहन लाल नायक नाम के व्यक्ति को भेजे। उसके बाद मेरे भेजे गये आवेदन पर निदेशालय द्वारा दिनांक 21.01.2025 को आक्षेप निकाल कर पूर्ति हेतु CMHO चित्तौडगढ को भेजा था, कार्यालय CMHO चित्तौडगढ के वरिष्ठ सहायक श्री नईम बेग जी का मेरे पास कॉल आया और उनके द्वारा मुझे निदेशालय द्वारा निकाले गये आक्षेपों की पूर्ति करने के बारे में बता कर दस्तावेज लेकर कार्यालय CMHO चित्तौडगढ आकर मिलने के लिये बुलाया। श्री नईम जी के द्वारा बताये गये सभी बिन्दुओं की पूर्ति कर मै दिनांक 05.02.2025 को कार्यालय CMHO चित्तौडगढ गया, जहां पर मुझे श्री नईम जी और श्री मांगीलाल खटीक मिले। जहां श्री मांगीलाल जी ने मुझे बताया कि हम तुम्हारे आवेदन के सभी आक्षेपों की पूर्ति कर निदेशालय भिजवाकर तुम्हारा अनुकम्पा नियुक्ति पत्र जारी करवा देंगे, इसके बदले में तुम्हे एक लाख रूपये और देने पडेंगे। तो मैने उनको कहा कि मैने पहले ही आपके कहे अनुसार 25,000/- फीस के दे दिये हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाउंगा। उसके बाद निदेशालय जयपुर द्वारा निकाले गये आक्षेप जो CMHO कार्यालय स्तर से पूर्ति किये जाने थे, उनकी पूर्ति श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी और श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक ने आपस में मिल कर केवल मात्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों दस्तावेज ही निदेशालय को अग्रेषित किये, निदेशालय को अग्रेषित किये, निदेशालय से मेरी जानकारी में आया कि CMHO चित्तौडगढ कार्यालय स्तर के आक्षेपों की पूर्ति नहीं हुई है। जिस पर मैने नईम जी को निदेशालय के आक्षेपों के बारे में बताया तो दिनांक 12.03.2025 को नईम जी के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर पर व्हॉट्सअप कॉल आया और उन्होंने बोला कि काम करवाना है तो हमने जो बताये वो एक लाख रूपये तो देने ही पडेंगे, नहीं तो ऐसी ऐसे चक्कर काटते रहना, तुम्हारी फाईल रिजेक्ट होगी। श्री मांगीलाल खटीक और श्री नईम बेग बिना रूपये लिये कोई भी काम नहीं करते हैं, अटकाते रहते हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा मेरी अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने की

फीस के नाम से 25,000/- लिये हैं और श्री मांगीलाल खटीक ने मेरे दिवंगत पिताजी के निलम्बन काल का वेतन एरियर बनाने के बदले फीस के नाम से मुझसे 18,000/- मांग कर 8,000/- रूपये नकद लिये और 10,000/- रूपये ऑनलाईन दिपेश खटीक नाम के व्यक्ति के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 15.05.2024 को ऑनलाईन डलवाये थे। मैं, CMHO चित्तौडगढ के श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी और श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि एक लाख रूपएं नहीं देना चाहता हूं। इन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरी इन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही इनसे कोई लेन-देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री निखिल यादव से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया था कि "मेरे पिताजी स्वं. श्री युद्धवीर सिंह यादव चिकित्सा विभाग में कार्यालय सीएमएचओ, चित्तौडगढ पर पदस्थापित थे, दिनांक 19.09.2021 को सडक दुर्घटना में वह गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, जिनकी ईलाजरत रहते हुये दिनांक 01.03.2022 को मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना और पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र मैंने उनके कार्यालय में जमा करवाया था। पिताजी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् मेरे द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिनांक 20.10.2022 को श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ को आवेदन किया गया था, मेरी उम्र उस समय 18 वर्ष और शैक्षणित योग्यता 12वीं पास नहीं होने से निदेशालय, जयपुर द्वारा मुझे नियुक्ति नहीं दी थी, बालिग होने और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दिनांक 02.09.2024 को मैंने, कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिये श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ को पुनः आवेदन किया था और उनके कार्यालय से मांग गये समस्त दस्तावेज मैने वहां जमा करवा दिये थे। मेरे आवेदन में सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ से रिपोर्ट निदेशालय जयपुर भेजी गई। जिस पर जयपुर निदेशालय से आक्षेप आये जिनकी पूर्ति के क्रम में सीएमएचओ कार्यालय के समय-समय पर श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी व श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक द्वारा मुझसे चाहे गये समस्त दस्तावेजो की पूर्ति कर मेरे द्वारा व्यक्तिशः सीएमएचओ कार्यालय में जमा करवाये गये। उसके बावजुद भी मेरे अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पर निदेशालय जयपुर द्वारा निकाले गये आक्षेपो में से कार्यालय स्तर के आक्षेप जिसमें मृतक कर्मचारी की सेवापुस्तिका से संबंधित व कार्मिग विभाग के प्रपत्र जिसकी पूर्ति विभागाध्यक्ष द्वारा की जानी थी जो नही करके केवल मात्र मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को ही निदेशालय जयपुर को भेज दिये। जिससे उन्होने वापस आक्षेप पत्र जारी कर दिया। उसी दौरान कुछ दिनों बाद कार्यालय सीएमएचओ चित्तौडगढ से श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मेरे अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन की 40,000/- रूपये फीस लगने और उसमें से 25,000/- रूपये एडवांस के तौर पर एक मोबाईल नम्बर देकर उसमें डालने के लिये कहा था। जिस पर मेने मांगीलाल जी द्वारा बताये नम्बर पर 25,000/- रूपये मेरे फोन-पे नम्बर से ऑनलाईन सोहन लाल नायक नाम के व्यक्ति को भेजे थे। इसी दौरान कार्यालय सीएमएचओ चित्तौडगढ से श्री नईम बेग का कॉल आया और सीएमएचओ कार्यालय पर निदेशालय के बिन्दुओ की पूर्ति के लिये दस्तावेज लेकर मुझे बुलाया, जिस पर मैं, दिनांक 05.02.2025 को सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ गया, जहां नईम जी और मांगीलाल जी मिले। मैने मांगीलाल जी को पूर्व में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये दी गई फीस 25,000/- रूपये और मेरे पिताजी के निलम्बन काल का वेतन एरियर बनाने के बदले दी गई फीस 18,000/- रूपये की रसीद मांगी तो मांगीलाल जी ने कहा कि इसकी कोई रसीद नहीं है, एरियर का काम तो तुम्हारा हो गया है। उसी समय नईम बेग जी वरिष्ठ सहायक और मांगीलाल जी प्रशासनिक अधिकारी ने मेरा अनुकम्पा नियुक्ति पत्र जारी करवाने और निदेशालय के आक्षेपों की पूर्ति करने के बदले में मुझसे एक लाख रूपये और मांगें, तब मुझे संदेह हुआ कि मांगीलाल जी प्रशासनिक अधिकारी और नईम बेग जी वरिष्ठ सहायक ने मुझसे फीस के नाम पर रिश्वत के रूप में पहले भी पैसे लिये है और अब भी यह दोनों रिश्वत मांग रहे हैं। मैने उक्त दोनों अधिकारियों को रिश्वत की राशि नहीं दी तो उक्त दोनों ने सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ से मेरे अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन की निदेशालय जयपुर से निकाले गये आक्षेपों की कार्यालय स्तर के बिन्दुओं की पूर्ति नहीं करवाई, जिसका मुझे निदेशालय से पता चला। जिस पर मैने नईम जी को निदेशालय के आक्षेपों के बारे में बोला तो दिनांक 12.03.2025 को नईम जी के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर पर व्हॉट्सअप कॉल आया और उन्होंने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति पत्र जारी करवाना है तो हमने जो बताये वो एक लाख रूपये तो देने ही पडेंगे, नहीं तो ऐसे ही चक्कर काटते रहना, तुम्हारी फाईल रिजेक्ट होगी। उसके बाद भी मैने कई प्रयास किये परन्तु उक्त दोनों ने कार्यालय सीएमएचओ चित्तौडगढ से मेरे आवेदन के आक्षेपों की विभागीय स्तर की पूर्ति नहीं करवाई है, मैं इन्हे रिश्वत राशि नही देना चाहता था, इसलिये मैंने ऐसे अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया का पता करके मैं आज आपके कार्यालय पर उक्त दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु रिपोर्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। मेरे अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन से सम्बंधित दस्तावेज एवं मेरे से फिस के नाम पर ऑन लाईन लिये गये रूपयो की रिसिप्ट प्रस्तुत कर रहा हुं। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि मांग करने का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध की श्रेणी का पाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाया जाना आवश्यक होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री निखिल यादव को संदिग्ध आरोपीगण श्री मांगीलाल और श्री नईम बेग से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही से अवगत करवा वार्ता हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि "दोनो रोजाना उनके कार्यालय सीएमएचओ, चित्तौडगढ पर कार्यालय समय पर मिल जाते हैं पहले भी उन्होंने मुझसे उनके

कार्यालय में बात की है और मेरे से फिस के नाम पर पैसे भी उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में ही लिये हैं। आज वर्किंग डे है, इसलिये दोनों अधिकारी उनके सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ में मिल जायेंगे, जहां मैं उनसे रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधित वार्ता कर सकता हूं। तत्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री दिनेश कुमार कानि. 266 को कक्ष में बुलाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। कानि. श्री दिनेश द्वारा सोनी कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से एवं किंगस्टन कम्पनी का रिक्त मेमोरी कार्ड 32 जीबी बंरग काला मालखाना से श्री सुरेश कुमार सउनि से इन्द्राज सम्बंधित रजिस्टर में करवाकर प्रस्तुत किया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बंरग काला होकर रिक्त होना पाया गया था। परिवादी श्री निखिल यादव और श्री दिनेश कानि. का आपस में परिचय करवा एक दुसरे के मोबाईल नम्बर एक-दूसरे के मोबाईल फोन में सुरक्षित करवाये गये थे। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया समझाईश कर श्री दिनेश कुमार कानि. को परिवादी के साथ जाकर संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लेकर पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश देकर परिवादी और श्री दिनेश कुमार कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के आवश्यक दिशा-निर्देश देकर समय करीब 11.40 ए.एम. पर रवाना चित्तौडगढ की तरफ किया था। तत्पश्चात समय करीब 04.33 पी.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि. द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल कर बताया था कि परिवादी श्री निखिल यादव की संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हो गई है, जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि एक लाख रूपये की मांग कर परिवादी के संदिग्ध आरोपी से निवेदन करने पर 80,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर सहमत हुआ है और परिवादी को कल वापस कार्यालय पर बुलाया है। श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक कार्यालय पर नहीं मिला है। जिस पर श्री दिनेश कानि. को आवश्यक गोपनियता बरतने की हिदायत देकर परिवादी को हमराह लेकर मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम तहरीर पत्र क्रमांक 768 दिनांक 15.04.2025 जारी कर प्रेषित की गई एवं मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो कार्यालय पर तलब किया गया। तत्पश्चात समय करीब 08.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक बाद अवकाश उपभोग के कार्यालय पर उपस्थित आया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री निखिल यादव द्वारा दिनांक 15.04.2025 को प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट से अवगत करवाया और परिवादी श्री निखिल यादव के साथ श्री दिनेश कानि. को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय से समय करीब 11.40 ए. एम. पर सीएमएचओ, कार्यालय चित्तौडगढ के लिये भेजने एवं कानि. दिनेश द्वारा जरिये मोबाईल कॉल कर परिवादी की संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सीएमएचओ, जिला चित्तौडगढ से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर ली गई है, जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि एक लाख रूपये की मांग कर परिवादी के संदिग्ध आरोपी से निवेदन करने पर 80,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर सहमत हुआ है और परिवादी को कल वापस कार्यालय पर बुलाया है। श्री दिनेश कानि. को परिवादी को हमराह लेकर मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय पर तलब किया है और मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु पत्र प्रेषित किये जाने बाबत अवगत करवाया गया। तत्पश्चात समय करीब 08.20 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर श्री दिनेश कुमार कानि मय परिवादी श्री निखिल यादव उपस्थित आये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री निखिल यादव का मन् पुलिस निरीक्षक से परिचय करवाया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक की उपस्थिति में श्री दिनेश कुमार कानि. ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि "आपके निर्देशानुसार मैं और परिवादी श्री निखिल यादव ब्यूरो कार्यालय से आज सुबह समय करीब 11.40 ए.एम. पर रवाना होकर रोडवेज बस से समय करीब 03.10 पी.एम. पर सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ के पास पंहुचे, जहां परिवादी को आपके निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया को पुनः समझाईश कर समय करीब 03.18 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपीगण श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री नईम बेग वरिष्ठ अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर वार्ता रिकार्ड कर लेकर आने के लिये परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ की ओर रवाना कर मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कार्यालय के आस-पास ही मूकीम रहा। तत्पश्चात् समय करीब 04.31 पीएम पर परिवादी ने मेरे पास आकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू हालत में सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया था कि परिवादी की संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड की गई, जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि एक लाख रूपये की मांग कर परिवादी के संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल

खटीक से निवेदन करने पर 80,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर सहमत हुआ है और परिवादी को कल वापस कार्यालय पर बुलाया है। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री निखिल यादव को संदिग्ध आरोपी से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि "मै और दिनेश जी उदयपुर से चित्तौडगढ पंहुचे जहां पर दिनेश जी ने मुझे सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ के पास आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाईश और श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी व नईम बेग वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर वार्ता रिकार्ड कर लेकर आने के लिये मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर दिया, जिसे लेकर मैं कार्यालय सीएमएचओ, चित्तौडगढ गया, जहां श्री शेलेन्द्र जी बाउजी मिले जिनसे मेरी अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बंध में बात हुई एवं मेरा मासिक आय का शपथ पत्र मैंने उनको दिया। उसके बाद में श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय कक्ष में गया, जहां मांगीलाल जी से मैंने अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन के सम्बंध में निदेशालय जयपुर के आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाने के सम्बंध में बात की और पूर्व में उनके द्वारा आवेदन की फीस के नाम से मांगे गये 25,000/- रूपये जो मैंने मांगीलाल जी को दिये थे, उसके बारे में पूछा तो उन्होंने 25,000/- रूपये में से 20,000/- रूपये कार्यालय के ही वरिष्ठ सहायक नईम बेग जी को दे देना बताया और नईम जी को मेरे मेटर को देखने के लिये बोल देना बताया, उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि नईम जी एक लाख रूपये और मांग रहे हैं, जिस पर मांगीलाल जी ने 20,000/- रूपये कम कर 80,000/- रूपये नईम जी को देने के लिये कहा। इसी दौरान मांगीलाल जी ने नईम जी को कॉल किया तो नईम जी का मोबाईल फोन बंद होने से मांगीलाल जी ने मुझे कहा कि कल ऑफिस आकर नईम जी से कम्पलीट बात कर लेना, मैं भी उसे बोल दूंगा। नईम जी आज ऑफिस में नहीं मिले थे, मांगीलाल जी ने नईम जी को पैसे देने के बाद हण्ड्रेड परसेन्ट मेरा काम हो जाने के बारे में कहा है। उसके बाद मैं दिनेश जी के पास पंहुचा और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर उन्हे दिया था। फिर वहां से हम दोनों रोडवेज बस से समय करीब 05.00 पी.एम. पर उदयपुर के लिये रवाना हुये थे। रास्ते में समय करीब 05.39 पी.एम. पर श्री नईम बेग जी वरिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल आया। जिस पर मैंने मेरे मोबाईल नम्बर से नईम बेग जी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वापस कॉल किया मैंने मेरे मोबाईल फोन का लाउड स्पीकर मोड ऑन किया और दिनेश जी ने मेरी, नईम जी से हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, जिसमें नईम जी ने मुझे बोला कि कहां हो काम के लिये जीपीएफ ऑफिस साथ में चलना है, जिस पर मैने उन्हें चित्तौडगढ से रवाना होने और मित्र के साथ उदयपुर जाने का बोला, तो नईम जी ने कहा कि मेरे पारिवारीक इमरजेन्सी होने से कल असम जाना है, नहीं जाउंगा तो तुम्हे कॉल कर बताता हुं। उसके बाद मैं और दिनेश जी अभी यहां पंहुचे हैं। मेरे द्वारा मासिक आय का शपथ पत्र जो शैलेन्द्र जी को दिया था उसकी छायाप्रति प्रस्तुत कर रहा हूं। तत्पश्चात् परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं परिवादी व संदिग्ध आरोपी नईम बेग के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं मन् पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री निखिल यादव द्वारा दिनांक 15.04.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय पत्रादि एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् समय करीब 09.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री निखिल यादव की हस्तलिखित रिपोर्ट मय पत्रादि के परिवादी श्री निखिल यादव को कार्यालय कक्ष में हमराह लेकर आया। परिवादी श्री निखिल यादव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर परिवादी को सुनाया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिखित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय किंगस्टन कम्पनी का मेमोरी कार्ड 32 जीबी बंरग काला को चैक कर अवलोकन किया तो मेमोरी कार्ड में दो वार्तायें रिकॉर्ड होना पाया गया। जिसमें एक वार्ता दिनांक 15.04.2025 समय करीब 03.18 पी.एम. से एवं दूसरी वार्ता 05.40 पी.एम. पर रिकोर्ड है, जिनको चलाकर सुना तो श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कक्ष में सुनी गई वार्तायें होना पाया गया। जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि होती है। कुछ समय पश्चात श्री प्रदीप भण्डारी हैड कानि. मय दो स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आये और ब्यूरो कार्यालय के मूल ही पत्र क्रमांक 768 दिनांक 15.04.2025 पर श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर राजस्थान द्वारा पृष्ठांकित क्रमांक 1488 दिनांक 15.04.2025 से गवाह मनोनयन पृष्ठांकनशुदा मूल पत्र हैड कानि ने सुपुर्द किया जिसे बाद अवलोकन शामील कार्यवाही किया गया। कार्यालय निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर राजस्थान से उक्त ट्रेप कार्यवाही हेतु मनोनित दोनों गवाह को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वंय का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम पता 1. श्री अमरदीप नागदा पुत्र स्व. श्री डालचन्द नागदा, उम्र 45 वर्ष, निवासी 204, गणेशनगर, पहाडा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर राजस्थान एवं 2. श्री युवराज सिंह बल्ला पुत्र स्व. श्री दुर्गा सिंह बल्ला, उम्र 34 वर्ष, निवासी 5, बागर गली, हाथीपोल, पुलिस थाना हाथीपोल, उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर राजस्थान होना

बताया। हर दोनों गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अमरदीप नागदा एवं श्री युवराज सिंह बल्ला को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री निखिल यादव का एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री निखिल यादव की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित रिपोर्ट दिनांक 15.04.2025 को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होकर शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। उक्त रिपोर्ट व परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करा दोनेां स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 15.04.2025 को समय 03.18 पी.एम. से परिवादी श्री निखिल यादव व संदिग्ध श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 15.04.2025 को समय करीब 05.40 पी.एम. पर परिवादी श्री निखिल यादव व संदिग्ध श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को परिवादी के समक्ष चलाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मांग सत्यापन सम्बंधित मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये तो हर दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि होना बताया। तत्पश्चात् समय करीब 10.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि 80,000/- रूपये प्रस्तुत करने के बारे में कहा तो परिवादी श्री निखिल यादव ने बताया कि "मेरे पास अभी दोनों अधिकारियों को देने हेतु रिश्वत राशि की पूरी व्यवस्था नहीं है, मैं कल सुबह तक श्री मांगीलाल जी और श्री नईम जी को रिश्वत में देने की राशि की व्यवस्था कर पेश कर दूंगा। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 16.04.2025 को सुबह 09.30 ए.एम. पर संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय पर उपस्थित आने एवं गोपनियता की आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ सहायक एवं श्री युवराज सिंह बल्ला कनिष्ठ सहायक को दिनांक 16.04.2025 को सुबह 09.30 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित आने एवं गोपनियता बरतने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित अलमारी में रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 16.04.2025 को समय 09.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि 169 द्वारा कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री निखिल यादव एवं स्वतंत्र गवाहान श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ सहायक व श्री युवराज सिंह बल्ला कनिष्ठ सहायक के समक्ष कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे उक्त कार्यवाही में उपयोग लिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकाल कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर उसमें रिकॉर्डशुदा दिनांक 15.04.2025 समय करीब 03.18 पीएम से परिवादी श्री निखिल एवं संदिग्ध श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी के मध्य स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ में रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर सुसंगत वार्ता की, वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। वार्ता में परिवादी श्री निखिल यादव ने अपनी आवाज के अलावा रिश्वत राशि संबंधित वार्ता करने वाले व्यक्ति की आवाज संदिग्ध श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ की होने की ताईद की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 11.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि 169 द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री निखिल यादव के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर उसमें रिकॉर्डशुदा दिनांक 15.04.2025 समय करीब 05.40 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] व संदिग्ध श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर [redacted] से आपस में हुई मोबाईल वार्ता को चलाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री निखिल यादव ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज संदिग्ध श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ की होने की ताईद की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री निखिल यादव को संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि मैं अभी व्यवस्था करके लाता हूं। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 12.05 पी.एम. पर रूकसत किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.25 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने उपस्थित कार्यालय आकर बताया कि श्री मांगीलाल जी खटीक प्रशासनिक अधिकारी को उनकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने के काफी प्रयास करने के बावजूद 80,000/- रूपये की पूरी व्यवस्था नहीं हुई, भारतीय चलन मुद्रा के 20,000/- रूपये की ही व्यवस्था हुई है तथा शेष राशि बच्चों के खेलने के 500-500 रूपये के 120 नोट 60,000/- रूपये के डमी चिल्ड्रन नोट की स्वयं के स्तर से व्यवस्था कर मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु लेकर उपस्थित आया हूं। जिस पर परिवादी को

कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री निखिल यादव पुत्र स्व. श्री युद्धवीर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी महाराजावास, तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली-बहरोड को संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के तथा 500-500 रूपये के डमी (चिल्ड्रन नोट) 120 नोट कुल 60,000/- रूपये जिन पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ होकर सभी नोटों पर DUK616850 लिखा हुआ है, जो पेश किये। उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये के नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित कर दोनों स्वंतत्र गवाहान से मिलान करवाया गया, स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा द्वारा परिवादी श्री निखिल यादवकी तलाशी लिवाई गई, जिसमें परिवादी के जिन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं रहने दी। तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार कानि. से कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये तथा 500-500 रूपये के डमी (चिल्ड्रन नोट) 120 नोट कुल 60,000/- रूपये के समस्त नोटों के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटों पर एक रबर बेंड लगाकर परिवादी द्वारा पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री संजय सिंह कानि. से कार्यालय की आलमारी में से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे गवाहान, परिवादी एवं उपस्थितिनों को दिखाया गया, तो उन्होंने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री राजेश कानि. की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री राजेश कानि. से बाहर नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी भी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्री राजेश कानि. को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में रखने और ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की आवश्यक हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 01.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री निखिल यादव, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो के अधिकारी/कर्मचारी का आपस में परिचय करवा कर परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री मांगीलाल खटीक से लेन देन वार्ता किये जाने वाले स्थान के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ में ही मांगीलाल जी मिल जायेगे वहां पर मुझसे लेन देन वार्ता कर सकते है नईम जी ने मुझे कहा था की वो असम जा सकते है लेकिन अगर वो भी कार्यालय में उपस्थित होगे तो वो भी मुझसे लेन देन वार्ता कर लेगें। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपीगण के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ से बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करें एवं उक्त निर्धारित ईशारे के बारें में ट्रेप टीम के सदस्यों को अवगत कराया गया एवं परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया को पुनः समझाईश की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप कुमार हैडकानि को निर्देशित कर कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का विडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा मंगवाया जाकर उसमें लगे मेमोरी कार्ड के रिक्त होने की पुष्टि की जाकर कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि की बरामदगी एवं जप्ती की ब्यूरो के कैमरे से रिकॉर्डिंग हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात हालात श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो एसयू, उदयपुर को निवेदन कर निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, परिवादी श्री निखिल यादव, श्री दिनेश कानि के, हैडकानि श्री प्रदीप भण्डारी मय विडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरा, श्री चन्द्रकान्त हैड कानि, गवाह श्री युवराज सिंह मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन कार मय प्राईवेट ड्राईवर एवं श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक मय श्री मोहम्मद जाबीर उनि, श्री सुरेश कुमार सउनि, गवाह श्री अमरदीप नागदा मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय से सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ की तरफ रवाना हुए। तत्पश्चात समय करीब 02.40 पी.एम. पर उपरोक्तानुसार रवानाशुदा सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ के पास पंहुचे, जहां श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो टीम सदस्यो एवं स्वतंत्र गवाहान को सीएमएचओ कार्यालय के आस पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम रहने की हिदायत दी गई। परिवादी को आवश्यक समझाईश कर लेन देन वार्ता हेतु समय करीब 02.47 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर सीएमएचओ कार्यालय की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम सीएमएचओ कार्यालय के आस पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। करीब आधे घण्टे बाद परिवादी सीएमएचओ कार्यालय से बिना ईशारे किये बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर दिया जिसे बन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वंय के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ के अन्दर जाने पर मांगीलाल जी प्रशासनिक अधिकारी उनके कार्यालय कक्ष में मिले जिनसे वार्ता करने के बाद उनके कहेनुसार नईम बेग वरिष्ठ सहायक के कार्यालय कक्ष में जाकर नईम बेग जी से मिला तो उन्होने मुझे जीपीएफ कार्यालय में जाकर पेंशन से संबंधित कार्य के लिये जीपीएफ कार्यालय के सर्वेश जोशी से सम्पर्क करने के लिये मोबाईल नम्बर दिये और कहा की अभी जाकर उनसे मिल लेना। अभी मांगीलाल जी व नईम बेग जी ने मुझसे रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता नही की है। तत्पश्चात संदिग्ध नईम बेग के कहेनुसार परिवादी को सीएमएचओ कार्यालय के ऑपोजिट रोड की तरफ स्थित जीपीएफ कार्यालय से पेंशन संबंधित कार्य के लिये रवाना किया, कुछ समय बाद परिवादी कुछ पेंशन संबंधित फॉर्म लेकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया और बताया कि जीपीएफ कार्यालय में जाने पर सर्वेश जोशी के नही मिलने पर मैंने नईम बेग जी से मोबाईल पर वार्ता की फिर जीपीएफ के अन्य कर्मचारी से मिलकर पेंशन संबंधी उक्त फॉर्म लेकर आया हूं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक समझाईश कर लेन देन वार्ता हेतु समय करीब 04.27 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम सीएमएचओ कार्यालय के आस पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। करीब 25 मीनट बाद परिवादी सीएमएचओ कार्यालय से बिना ईशारे किये बाहर निकलते हुए मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर संदिग्ध मांगीलाल व नईम बेग को रिकॉर्डर के बारे में पता चल जाने से रिश्वत राशि नही लेने के बारे में एवं मांगीलाल के कार्यालय से बाहर जाने के बारे में बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अपने पास बुलाया जहां श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी से रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि सीएमएचओ कार्यालय के अन्दर नईम जी के कार्यालय कक्ष में जाकर उनसे मिला तो उनको जीपीएफ कार्यालय से लाया हुए फॉर्म दिये, मांगीलाल जी भी नईम जी के कार्यालय कक्ष में आ गये। जिसके संबंध में उन्होने मुझसे वार्ता कि उसके बाद नईम जी व मांगीलाल जी आपस में ही मेरी पारिवारिक पेंशन के संबंध में बात करने लग गये। कुछ समय बाद में जब टॉयलेट जाकर आया तो मांगीलाल जी उनके कार्यालय कक्ष में बैठे थे उसके बाद मैंने दिनांक 15.04.2025 को रिश्वत राशि के संबंध में हुई वार्ता के बारे में मांगीलाल जी से कहा कि आप नईम जी को कल हुई बातचीत के बारे में बोल दो। जिस पर उन्होने कहा कि मैंने नईम को इस बारे में बोल दिया है तुम तो नईम से एक लाख में बात कर लो पहले वाले बीस मैं एडजस्ट करवा दुंगा, मैं तो यहां से जाने वाला हूं इसलिये काम की गारण्टी नईम की ही रहेगी। जिस पर मैंने मांगी लाल जी को ही नईम जी से वार्ता करने के लिये कहां तो उन्होने कहा की मुझे अभी शादी में जाना है, जिस पर मैंने उन्हे कहा की नईम जी से आप ही बात करो उसके बाद मैं नईम जी के कार्यालय कक्ष में जाकर कहा की मांगीलाल जी आपको बुला रहे है। नईम जी के आने पर मांगीलाल जी ने उन्हे कहा कि इनसे बात कर लेना पहले के बीस हजार का एडजेस्टमेन्ट अपन कर लेंगे, उसके बाद जब मैंने कहा कि अस्सी हजार के अनुसार एडजेस्ट कर लिये है, जिस पर मांगीलाल जी को मेरे बात करने के तरीके से वार्ता रिकॉर्ड करने की शंका हो गई। उस समय मैंने दोनो के सामने कहा कि एक लाख आपने बोला था, पच्चीस हजार मैंने दे दिये थे, आपने बोला जनवरी लास्ट तक काम हो जायेगा तो हुआ नही, जिस पर मांगी लाल जी ने कहा कि नईम ने मेरको बोला कि आगे कोई ऑब्जेक्शन नही है कम्पलीट भेज रखा है, तभी पैसो की बात की थी, नईम जी ने कहा कि आवेदन लेट करने से ये सब हो रहा है। उसके बाद मांगीलाल जी को मुझ पर और अधिक शंका होने पर उन्होने मुझे कहा कि तु हमारी बात रिकॉर्ड तो नही कर रहा है उसके बाद नईम जी मेरी तलाशी लेने लग गये उन्होने मेरी जेब में रखे मोबाईल को निकाल कर चेक किया उसके बाद आपके द्वारा वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये दिया गया रिकॉर्डर जिसको मैंने धागे से गले में लॉकेट की तरह पहन रखा था उसे देख लिया, जिस पर मैंने उन्हे कहा कि मैं रिकॉर्डर इसलिये लाया हूं कि पहले आपके द्वारा मुझसे पहले भी मेरे काम के बदले रूपये लेकर मेरा काम नही किया, इसलिये मैं सिक्योरिटी के लिये आपकी बाते रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद मांगीलाल जी ने मुझे कहा कि तेरा काम हो रहा होगा जो भी अब अटक जायेगा, उसके बाद मांगीलाल जी वहा से चल जाते है तो नईम बेग अपनी बात करने का तरीका बदल देता है, और सफाई देते हुए कहते है कि हमे तो यहां से ले के वहां देना है

आगे देते है, इतने बडे एमाउण्ट का रिस्क नही ले सकते हम। उसके बाद मैं सीएमएचओ कार्यालय से बाहर आकर आपको कॉल कर आपके पास आ गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हाजिरान के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर उक्त वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि अब मांगीलाल जी व नईम बेग जी मुझसे कोई बात नही करेगें ना ही रूपये लेगें, अब वो मेरा काम भी अटका देगें। तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपीगणो को परिवादी के पास डिजीटल वाईस रिकॉर्डर होने की जानकारी हो जाने से आरोपीगण परिवादी से अब लेन देन वार्ता नही करेगें एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भव नही होने से परिवादी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दांयी जेब में फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि को स्वंतत्र गवाह से निकलवाकर लिफाफे में रखवाया जाकर श्री सुरेश कुमार सउनि से सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, गवाह श्री युवराज सिंह व श्री अमरदीप नागदा, हैडकानि श्री प्रदीप भण्डारी मय विडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरा, श्री चन्द्रकान्त, मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन कार मय प्राईवेट ड्राईवर के एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मोहम्मद जाबीर उनि, श्री सुरेश कुमार सउनि, परिवादी श्री निखिल यादव व श्री दिनेश कुमार कानि मय सरकारी वाहन मय चालक के चित्तौडगढ से रवाना होकर समय करीब 08.00 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय एस.यू. उदयपुर पंहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देशानुसार परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में बैठाया जाकर ट्रेप बॉक्स को श्री सुरेश कुमार सउनि से सुरक्षित रखवाया गया। श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि से विडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरे को मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 10.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री युवराज सिंह व श्री अमरदीप नागदा को गोपनियता रखने की एवं परिवादी श्री निखिल यादव को गोपनियता रखने एवं संदिग्ध श्री मांगीलाल खटीक व श्री नईम खां द्वारा रिश्वत राशि के संबंध में सम्पर्क करने पर अविलम्ब मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की एवं दिनांक 17.04.2025 को समय करीब 10.00 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.04.2025 को समय करीब 10.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री युवराज सिंह व श्री अमरदीप नागदा के समक्ष श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लाकर कार्यालय के लेपटॉप में कनेक्ट कर दिनांक 16.04.2025 को समय करीब 02.47 पी.एम. पर परिवादी श्री निखिल एवं आरोपी श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी व श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक के मध्य स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ में रूबरू हुई वार्ता को चलाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर रिकॉर्ड वार्ता में से सुसंगत वार्ता की, वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री निखिल यादव ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक की आवाज होने की पहचान कर आवाज होने की ताईद की, फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 16.04.2025 को समय करीब 02.47 पी.एम. से रूबरू हुई वार्ता प्रथम मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 12.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटॉप में कनेक्ट कर दिनांक 16.04.2025 को समय करीब 04.27 पी.एम. से परिवादी श्री निखिल एवं आरोपी श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी व श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक के मध्य स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ में रूबरू हुई रिश्वत राशि संबंधी वार्ता को चलाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर रिकॉर्ड वार्ता में से सुसंगत वार्ता की, वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री निखिल यादव ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक की आवाज होने की पहचान कर आवाज होने की ताईद की, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि संबंधी वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 15.04.2025 व दिनांक 16.04.2025 को हुई रिश्वत राशि संबंधी वार्ता की ऑडियो फाईल, कुल 04 ऑडियो फाईल जो ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट करवा रिकॉर्डशुदा उक्त चारो वार्ताओं को चार पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी के 16 जीबी बरंग लाल व काला (एक मूल, एक आईओ व दो आरोपी पेनड्राईव) में बारी-बारी से लेपटॉप से पेनड्राईव को कनेक्ट कर कॉपी किया जाकर वार्ताओं की वाईस रिकॉर्डिंग फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई, जो एक समान प्राप्त हुई। चारो पेनड्राईव के अलग-अलग हेशवैल्यू मैमों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किये गये। चारो पेनड्राईव को अलग-अलग पेनड्राईव के पैकिंग कवर में रखकर, कॅवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में रख श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सीलबन्द करवा मार्क अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द मुर्तिब पेनड्राईव व जप्ती पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की

गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटॉप से कनेक्ट कर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी में रिकॉर्डशुदा दिनांक 15.04.2025 को समय करीब 03.18 पी.एम. पर रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ऑडियो फाईल, समय करीब 05.40 पी.एम. पर हुई मोबाईल फोन पर हुई वार्ता की ऑडियो फाईल, दिनांक 16.04.2025 को समय करीब 02.47 पी.एम. पर हुई रूबरू वार्ता एवं 04.27 पी.एम. पर हुई रिश्वत राशि संबंधी वार्ता की ऑडियो फाईल, कुल 04 ऑडियो फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई, जो चारो पेनड्राईव में सुरक्षित की गई वार्ताओं की ऑडियो फाईल की हेशवैल्यू का मिलान करने पर समान होना पायी गई। मेमोरी कार्ड की हेशवैल्यू मैमों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी 32 जीबी बरंग काला को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रख श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सीलबन्द करवा मार्क अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया व फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही जप्त किये गये आर्टिकल्स सिलबन्द वार्ताओ का मूल पेनड्राईव व मूल मेमोरी कार्ड को श्री सुरेश कुमार सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करा मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वती राशि को आगे ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नही होने से एवं परिवादी द्वारा निवेदन करने पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री सुरेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित लिफाफे के अन्दर रखी रिश्वती राशि को मंगवा कर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो हुबहु होना पाया गया। जरिये फर्द परिवादी श्री निखिल यादव को 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 500-500 रूपये के डमी (चिल्ड्रन नोट) 120 नोट सुपुर्द किये जाकर फर्द सुपुर्दगी नोट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात दिनांक 22.04.2025 को समय करीब 01.30 पीएम पर श्री शैलेन्द्र मेनारिया हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ मय परिवादी श्री निखिल यादव द्वारा अवेदन किये गये अनुकम्पा नियुक्ति रिकॉर्ड के उपस्थित कार्यालय आया रिकॉर्ड बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड वार्ताओं के पेनड्राईव को लेपटॉप से कनेक्ट करवा वार्ताओ को बारी बारी से चलवाकर श्री शैलेन्द्र मेनारिया वरिष्ठ सहायक को सुनाया गया तो वार्ताओ में शैलेन्द्र मेनारिया ने स्वंय की आवाज के अलावा अन्य आवाजो में सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ के श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी व श्री नईम बेग, वरिष्ठ सहायक की एवं श्री निखिल यादव की आवाज की पहचान कर आवाज होने की ताईद की। इस प्रकार परिवादी श्री निखिल यादव पुत्र स्व. श्री युद्धवीर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी महाराजावास, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली-बहरोड के पिता की चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यालय सीएमएचओ चित्तौडगढ पर पदस्थापन के दौरान राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 01.03.2022 को सडक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, परिवादी के बालिग होने व शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के तहत कनिष्ठ सहायक के पद हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ को दिनांक 02.09.2024 को मय दस्तावेज के आवेदन किया, कार्यालय सीएमएचओ चित्तौडगढ द्वारा जरिये पत्रांक 2458 दिनांक 02.12.2024 से परिवादी के अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन को निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर को प्रेषित किया गया। आवेदन प्रेषित करने के कुछ समय पश्चात कार्यालय सीएमएचओ चित्तौडगढ से श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी श्री निखिल को व्हॉट्सअप कॉल कर अनुकम्पा नियुक्ति के बदले में 40,000/- रूपये फीस की मांग कर, एक मोबाईल नम्बर पर 25,000/- रूपये ऑनलाईन एडवान्स भेजने और बाकी के रूपये काम होने के बाद देने के लिये बोला। जिस पर परिवादी ने स्वंय के फोन पे नम्बर [redacted] से दिनांक 21.12.2024 को आरोपी श्री मांगीलाल खटीक के कहे अनुसार 25,000/- रूपये ऑनलाईन आरोपी द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर ट्रांसफर किये। जिसकी फोन पे रसीद पर मोबाईल नम्बर धारक का नाम सोहन लाल नायक दर्ज है। परिवादी के आवेदन पर निदेशालय जयपुर द्वारा पत्रांक 28 दिनांक 21.01.2025 से आक्षेप निकाले कर पूर्ति हेतु सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ को प्रेषित किया, जिस पर परिवादी श्री निखिल यादव ने स्वंय से संबंधित बिन्दु की पूर्ति कर दस्तावेज दिनांक 05.02.2025 को सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ पर आरोपीगण श्री मांगीलाल प्रशासनिक अधिकारी व श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक को जमा करा दिये थे, उसी दिन परिवादी ने पूर्व में फिस के रूप में दिये गये 25,000/- रूपयो की रसीद मांगी तो उक्त दोनो आरोपीगण द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने की एवज में परिवादी से एक लाख रूपये की और मांग की। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि नही देने पर निदेशालय चिकित्सा विभाग जयपुर के आक्षेपों में से सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ के स्तर के बिन्दुओ की पूर्ति नहीं करके केवल परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ही निदेशालय अग्रेषित कर दिया। निदेशालय चिकित्सा विभाग जयपुर से परिवादी को अवगत कराया गया कि कार्यालय सीएमएचओ चित्तौडगढ के कार्यालय स्तर के आक्षेपो की पूर्ति नही हुई है। जिस पर परिवादी ने आरोपी श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक को इस संबंध में अवगत कराया, तो

आरोपी श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक द्वारा आक्षेपों की पूर्ति करने की एवज में परिवादी से एक लाख रूपये की मांग की गई। जिस पर दिनांक 15.04.2025 को परिवादी श्री निखिल यादव ने कार्यालय भ्र.नि. ब्यूरो एसयू उदयपुर पर उपस्थित होकर इस संबंध में लिखित शिकायत प्रस्तुत की। जिस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री मांगीलाल खटीक द्वारा परिवादी से अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण पूर्ण कर भिजवाने की एवज में रिश्वत राशि एक लाख रूपये की मांग कर पूर्व में फिस के नाम पर ग्रहण की गई रिश्वत राशि 25,000/- रूपये में से बीस हजार रूपये कम कर 80,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने की सहमति देकर आरोपी श्री नईम बेग से कम्पलिट बात करने के लिये कहा एवं दिनांक 16.04.2025 को परिवादी को वापस कार्यालय पर बुलाया गया। मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी से आरोपी श्री मांगीलाल खटीक द्वारा परिवादी के पिता के निलम्बन काल का वेतन एरियर बनाने के बदले फीस के नाम से 18,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने की पुष्टि हुई। परिवादी श्री निखिल यादव द्वारा मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री मांगीलाल खटीक को निदेशालय चिकित्सा विभाग जयपुर से कार्मिक विभाग से अनुकम्पा नियुक्ति की फाईल रिजेक्ट होने की सम्भावना की जानकारी मिलने के बारे में कहता है तो आरोपी मांगीलाल परिवादी को कहता है कि 'तभी तो तेरको नईम कह रहा है ना' उसके बाद परिवादी के अनुकम्पा नियुक्ति के आक्षेपो की पूर्ति करवाने की एवज में एक लाख की मांग कर पूर्व में प्राप्त किये 25,000/- रूपये में से 20,000/- रूपये एडजस्ट कर 80,000/- रूपये लेने के लिये सहमत होकर परिवादी को आरोपी श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक से कम्पलिट बात करने का बोलता है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 16.04.2025 को सीएमएचओ कार्यालय चित्तौडगढ में रिश्वत राशि संबंधी वार्ता के दौरान दिनांक 15.04.2025 को श्री नईम बेग के फोन आने के बारे में परिवादी के द्वारा आरोपी श्री मांगीलाल को कहने पर, आरोपी श्री मांगीलाल कहता है कि 'कल शाम को आ गये थे तेरे जाने के बाद फिर वो फोन किया था'तथा वार्ता के दौरान ही आरोपी श्री मांगी लाल परिवादी के समक्ष आरोपी श्री नईम बेग को धीमी आवाज में कहता है कि 'इनसे जो भी बात करनी है कर लेना, ठीक है इसमें बीस का एडजस्टमेन्ट फिर अपन कर लेंगे'उसके बाद परिवादी एवं आरोपीगण श्री मांगी लाल व श्री नईम बेग रिश्वत राशि संबंधी वार्ता करते है। आरोपीगण श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी और श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक को परिवादी पर शंका हो जाने से रिश्वत राशि ग्रहण नही की गई एवं परिवादी को कहा कि तेरा काम हो रहा होगा तो भी अब अटक जायेगा। परिवादी के पास डिजिटल वाईस रिकॉर्डर होने का पता चलने के बाद श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक परिवादी को कहता है कि 'डाईरेक्ट जयपुर जा कर बात कर क्योंकि मैं भी इतने बडे अमाउन्ट में रिस्क नही ले सकता हमारा बिच में क्या रोल है, वहां से ले जाके न वहां देना ही है, आगे देते, इतने बडे एमाउन्ट की रिस्क वेसे भी नहीं ले सकते हम'उक्त वार्ता मामले में अन्य अधिकारीयो/ कर्मचारीयों के परिवादी के वैध कार्य करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग करने के अपराधिक षडयंत्र में शामील होने की सम्भावना व्यक्त करती है। आरोपीगण श्री मांगीलाल खटीक प्रशासनिक अधिकारी व श्री नईम बेग वरिष्ठ सहायक द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर आपस में मिल कर षडयंत्र रचकर परिवादी से उसके अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन में आक्षेपों की पूर्ति करने की एवज में अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के आपराधिक दुराशय से परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करना प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण 1. श्री मांगीलाल खटीक पुत्र श्री सुरजमल खटीक, उम्र 51 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट भीमगढ, तहसील राशमी, जिला चित्तौडगढ हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ एवं 2. श्री नईम बैग पुत्र श्री रहीम बैग, उम्र 29 वर्ष, निवासी बिस्मिल्लाह आशियाना, पंचायत भवन के पीछे, सावा जिला चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र चित्तौडगढ हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 1. श्री मांगीलाल खटीक पुत्र श्री सुरजमल खटीक, उम्र 51 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट भीमगढ, तहसील राशमी, जिला चित्तौडगढ हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ एवं 2. श्री नईम बैग पुत्र श्री रहीम बैग, उम्र 29 वर्ष, निवासी बिस्मिल्लाह आशियाना, पंचायत भवन के पीछे, सावा जिला चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र चित्तौडगढ हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ के विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय) लक्ष्मण लाल डांगी(पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर.....................
कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल डांगी पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री मांगीलाल खटीक पुत्र श्री सुरजमल खटीक, उम्र 51 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट भीमगढ, तहसील राशमी, जिला चित्तौडगढ हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ एवं 2. श्री नईम बैग पुत्र श्री रहीम बैग, उम्र 29 वर्ष, निवासी बिस्मिल्लाह आशियाना, पंचायत भवन के पीछे, सावा जिला चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र चित्तौडगढ हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ. शोनू

शेखावत,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 908 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 896-99 दिनांक 18.6.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,उदयपुर, 2.-निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/06/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/11/1973				
2	Male	06/08/1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)